01/12/25

पत्रा पेश हुई। वकील अप्रार्थी उप.। साक्ष्यवादी हेतु अवसर चाहा। पूर्व मे साक्ष्यवादी हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्यवादी पेश नही करने से साक्ष्यवादी का अवसर बन्द किया जाता है। मि. वास्ते साक्ष्यप्रतिवादी के दिनांक 27/01/26 को पेश हो।

27/01/26

पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी उपस्थित पीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/भ्रमण अधिवक्ता हड़ताल होने से पत्रावली दिनांक 01/04/26 को पेश हावें।

आज्ञा से

रीडर

उपखण्ड अधिकारी

सलूम्बर

01/04/26

पत्रा. पेश हुई। अप्रार्थी उप.। साक्ष्यप्रतिवादी हेतु अवसर चाहा। न्यायहित मे अवसर दिया जाता है मि. वास्ते साक्ष्यप्रतिवादी के दिनांक:- 18/05/26 को पेश हो।

18/05/26

पत्रावली पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित। वकील प्रतिवादी उपस्थित। वादी को न्यायालय समय पर विधिवत रूप से बार-बार आवाजे लगवाई गई। इसके उपरान्त भी वादी मय अधिवक्ता के गैर हाजिर रहने से वादी का वाद अदम-हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

18/5/2026

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर